

हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले शिल्पियों को मेले/प्रदर्शनी में कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने वाले माल पर आने वाले परिवहन व्यय की व्यय एवं स्टाल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु0 10,000/- राज्य सहायता प्रदान की जायेगी। यह सुविधा वर्ष में एक शिल्पकार को दो बार ही प्राप्त होती है।

योजना का नाम	सहायता अनुदान	धनराशि	पात्रता
हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन	परिवहन व्यय की बिल्टी व्यय एवं स्टाल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु0 10,000/- प्रति हस्तशिल्पी	रु0 10,000/- प्रति हस्तशिल्पी	हस्तशिल्पी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो उसके पास हस्तशिल्पी पहचान पत्र हो।